

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यूरोड, लखनऊ-226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91-9151024463
Website: www.upsmfac.org Email: upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या: 1441/23



दिनांक-14.02.2023



Scan QR find to
counseling Venue

संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2022-23 (विशेष आफलाइन काउंसलिंग)

काउंसलिंग स्थल: Goel Group of Institutions

पता: गोयल कैम्पस, अयोध्या रोड, इन्दिरा कौनाल के पास, लखनऊ-226028

Day	Date	Start	End	Reporting Time	Counselling Time	Category
		Combined Rank				
1	17-02-2023	1	16108	09:00 AM	10:00 AM	All PH, FF & Ex-Army
2	19-02-2023	1	1399	09:00 AM	10:00 AM	All Category (UR, OBC, SC, ST, EWS) Registered Candidate
		1400	2325	11:00 AM	02:30 PM	
3	20-02-2023	2326	3083	09:00 AM	10:00 AM	
		3084	4078	11:00 AM	02:30 PM	
4	21-02-2023	4079	5189	09:00 AM	10:00 AM	
		5190	6169	11:00 AM	02:30 PM	
5	22-02-2023	6170	7273	09:00 AM	10:00 AM	
		7274	8350	11:00 AM	02:30 PM	
6	23-02-2023	8351	9260	09:00 AM	10:00 AM	
		9261	10396	11:00 AM	02:30 PM	
7	24-02-2023	10397	11438	09:00 AM	10:00 AM	
		11439	12398	11:00 AM	02:30 PM	
8	25-02-2023	12399	13385	09:00 AM	10:00 AM	
		13386	14290	11:00 AM	02:30 PM	
9	26-02-2023	14291	15225	09:00 AM	10:00 AM	
		15226	16108	11:00 AM	02:30 PM	

विशेष काउंसलिंग (ऑफलाइन) हेतु दिशा निर्देश:-

- सर्वप्रथम अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध सीटों की संख्या का आकलन स्वयं कर लें।
- जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 19 जनवरी से 14 फरवरी 2023 के मध्य आनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क ₹700 जमा किया है ऐसे अभ्यर्थी अपने कम्बाइन्ड रैंक (Combined Rank) के अनुसार निर्धारित तिथि को काउंसलिंग स्थल पर पहुँचकर आफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग स्थल पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
- काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को Counselling Reporting Letter एवं Choice Letter प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी: लॉगिन करके च्वाइस लेटर एवं काउंसलिंग पत्र Counselling Reporting Letter डाउनलोड कर सकते हैं।
- अभ्यर्थी को ₹ 5000/-का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी हेतु जोकि "SECRETARY, U.P. STATE MEDICAL FACULTY, LUCKNOW"के पक्ष में देय हो बनवाना होगा।

- काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना होगा
 - ✓ अभ्यर्थी मूल आईडी कार्ड एवं **Counselling Reporting Letter** का 2 प्रति प्रिंट आउट।
 - ✓ **Choice Letter** का 1 प्रति प्रिंट आउट।
 - ✓ ₹ 5000 का डिमांड ड्राफ्ट सिक्क्योरिटी मनी हेतु जोकि
“SECRETARY, U.P. STATE MEDICAL FACULTY, LUCKNOW” के पक्ष में देय हो।
- जिन अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र जारी किया जायेगा उन्हें डिमांड ड्राफ्ट सिक्क्योरिटी मनी के रूप में काउंसलिंग स्थल पर जमा करना होगा।
(डिमांड ड्राफ्ट के अभाव में अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकता है एवं उसका किसी भी सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।)
- जिन अभ्यर्थियों को प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त हुआ था एवं आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है। ऐसे अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करते हैं तो उन्हें काउंसलिंग में सिक्क्योरिटी मनी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- काउंसलिंग में आने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी को सीट आवंटन प्राप्त हो जायेगा। सीटों का आवंटन अभ्यर्थी की उपस्थिति, कम्बाइन्ड रैंक एवं उसके च्वाइस के अनुसार सीट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा
- काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में किसी भी स्तर से अनियमितता पायी जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि अभ्यर्थी को कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है डिमांड ड्राफ्ट तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
- निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अभ्यर्थी को **Counselling Reporting Letter** एवं **Choice Letter** के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी ने उपश्रेणी के साथ आवेदन किया हो परन्तु उसके पास उपश्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी अपनी मुख्यश्रेणी एवं कम्बाइन्ड रैंक (**Combined Rank**) के आधार पर निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में प्रतिभाग कर काउंसलिंग करा सकते हैं।

काउंसलिंग प्रक्रिया

- मेरिट सूची जारी किये जाने के पश्चात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग में सभी श्रेणी (UR, OBC, SC, ST, EWS) एवं उपश्रेणी (PH, FF, Ex- Army) के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया था। काउंसलिंग के पश्चात् रिक्त सीटों पर विशेष आफलाइन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है।
- विशेष आफलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी: विशेष आफलाइन काउंसलिंग में सभी श्रेणी (UR, OBC, SC, ST, EWS) एवं उपश्रेणी (PH, FF, Ex- Army) के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं।
- विशेष आफलाइन काउंसलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी: जिनको एक बार अपग्रेडेशन प्राप्त हो गया है एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम उपश्रेणी की सीटें (ALL PH, ALL FF, ALL Ex- Army) आवंटित की जायेगी। तत्पश्चात् आरक्षण श्रेणी (ALL OBC, ALL SC, ALL ST, ALL EWS)की सीटों का आवंटन किया जायेगा।
- यदि उपश्रेणी की सीटें रिक्त रह जाती है तो ऐसी स्थिति में उन सभी सीटों को उनकी मुख्यश्रेणी में परिवर्तित कर आवंटन किया जायेगा।
- आवंटन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यदि अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सिक्क्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।
- विशेष आफलाइन काउंसलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होता है तो ऐसी स्थिति में उसका पूर्व में आवंटित सीट रिक्त हो जायेगी। पूर्व में आवंटित सीट पर उस अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा एवं इस रिक्त हुयी सीट पर उसके आगे वाले अभ्यर्थी को आवंटन हेतु मौका दिया जायेगा।

प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने सम्बन्धी निर्देश

- वाउंसलिंग में किया गया आवंटन अस्थायी होगा ।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा ।
 - प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य ले जायें—
 - ✓ हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र ।
 - ✓ (इण्टरमीडिएट साइंस) रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित से उत्तीर्ण इण्टरमीडिएट परीक्षा का अंक-पत्र एवं प्रमाणपत्र ।
 - ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र एवं आवंटन पत्र ।
 - ✓ प्रशिक्षण शुल्क
- अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया सिक्योरिटी मनी का ड्राफ्ट की धनराशि प्रवेश शुल्क/प्रशिक्षण शुल्क में समाहित कर लिया जायेगा ।
- आप द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण केंद्र एवं कोर्स के आधार पर आपका स्थानांतरण किया जाता है। आप की पूर्व आवंटित सीट स्वतः ही निरस्त हो गयी है । आपको नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है । यह प्रवेश पूर्णतः अस्थायी है ।
- आप प्रवेश पत्र (आवंटन पत्र) के साथ निर्धारित तिथि तक सम्बंधित आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में तत्काल प्रवेश प्राप्त कर लें। किसी भी दशा में यह तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी एवं नवीन आवंटित सीट पर प्रवेश न लेने की दशा में आपकी स्थानांतरित सीट भी रिक्त मानी जाएगी एवं शुल्क वापसी हेतु अभ्यर्थी को स्वयं पूर्व प्रवेशित प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क करना होगा ।

सचिव

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी